न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

आरसीएमएस पॉर्टल नम्बर:– 2016/00020

प्रकरण संख्या–05/2016

उनवान:–

1. विरमा पत्नि राजेन्द्र सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष जाति किरार निवासी ग्राम रजौरा कला हाल आबाद जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

——————————————वादिया

बनाम

1. शिवदेई पत्नि स्व. भजन सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम पथैना तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

——————————————प्रतिवादी

2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

——————————————तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते बॅटवारा काश्त

उपस्थिति – 1. श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

दिनांक 06/08/24

निर्णय

वादीया की ओर से वाद वास्ते बटवांरा काश्त विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 812 रकवा 15 विस्वा वांके ग्राम महमदपुर पटवार हल्का कस्वा धौलपुर नम्बर 3 तहसील व जिला धौलपुर की वादिया 1/2 भाग की एंव प्रतिवादी संख्या 1, 1/2 भाग की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 बेईमान व चालाक किस्म की महिला है जो वादिया के हिस्से की पैदावार को अकेले हडपना चाहती है जिसका इजहार प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 दिवस पूर्व वादिया से कस्बा संख्या 3 धौलपुर में खुलेआम किया है तथा आगे फसल देने से इंकार कर दिया है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से विभाजन करने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने विभानज करने से मना कर दिया। अतः वादिया का हिस्सा 1/2 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाकर वादिया के नाम का खाता पृथक से कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु दिनांक 10.11.2017 को रजि. ए.डी. सम्मन जारी किए गए परन्तु दिनांक 31.12.2018 तक ए.डी. प्राप्त नही होने और नाही लिफाफा अदम तामील प्राप्त होने पर उनकी तामील मानते हुए दिनांक 31.12.2018 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 ग्राम महमदपुर पेश की।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

दिनांक 18.01.2019 को वकील वादिया की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दावा वादिया
प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 812 ग्राम महमदपुर तहसील
धौलपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिये गए तथा तहसीलदार
धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये।

तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.02.2020 को प्राप्त हुए। उक्त
विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 से 21 के अनुसार नही
होने के कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किए। पुनः विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार धौलपुर के
पत्रांक 583 दिनांक 21.12.2022 से निर्धारित प्रारुप में पेश किए। जिसके अनुसार विवादित
आराजी ख.नं. 812 ग्राम महमदपुर तहसील धौलपुर के कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने हेतु
दिनांक 16.12.22 को मौके पर पहुंचे। मौके पर वादिया उपस्थित आई। वादिया की उपस्थिति
में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए। जिसके तहत आ.ख.नं. 812/1 रकवा 0.09485 है0 वादिया
विरमा देवी पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर एंव ख.नं.
812/2 रकवा 0.09485 है0 प्रतिवादी संख्या 01 शिवदेई पत्नि स्व. भजन सिंह जाति कुशवाह
निवासी ग्राम पथैना तहसील सैंपऊ को प्रस्तावित किया।

विभाजन प्रस्ताव पर वादिया के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
वादीया के अभिभाषक ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही की तथा दावा मुताबिक
कुर्रेजात प्रस्ताव डिक्री किये जाने का कथन किया।

वादीया के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने, विभाजन प्रस्ताव एंव
पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त हम दावा वादीगण
मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आ.
ख.नं. 812/1 रकवा 0.09485 है0 वाके ग्राम महमदपुर तहसील धौलपुर का वादिया विरमा
देवी पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर एंव ख.नं. 812/2
रकवा 0.09485 है0 वाके ग्राम महमदपुर तहसील धौलपुर का प्रतिवादी संख्या 01 शिवदेई पत्नि
स्व. भजन सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम पथैना तहसील सैंपऊ को खातेदार काश्तकार
घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक
कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक
शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व
जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज0